न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1206–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–1–17 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 107/2016–17/अपील.

.....

1–अंदरू पिता गुला भाभर
2–बसंतीबाई बेवा गुलाजी भाभर
निवासीगण ग्राम टोडी तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–नरसिंह पिता भावला
निवासी ग्राम टोडी
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ
2–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला झाबुआ

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0गुप्ता, अभिभाषक–आवेदकगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7/7/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद के प्रकरण कमांक 03/अ–6–अ/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–7–2016 से असंतुष्ट होकर अपर आयुक्त के समक्ष अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई साथ ही संहिता की धारा 5 का आवेदन पत्र मयशपथपत्र के प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 16–1–2017 को आदेश पारित कर अपील समयबाधित होने से अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्व0भावला भाभर के पांच लड़के थे जिसमें गुला मृतक का ज्येष्ठ पुत्र था और नरसिंह भी स्व0भावला भाभर का पुत्र है, जो इस वाद में अनावेदक कमांक 1 है । स्व0भावला भाभर की जमीन का बटवारा हुआ था और बटवारे में पांच हिस्से किये गये थे, परन्तु राजस्व रिकार्ड में 4 हिस्से पर नाम दर्ज है और रिकार्ड में अंदरू का नाम कहीं भी दर्ज नहीं है । अंदरू के हिस्से पर भूल वश अनावेदक कमांक 1 का नाम दर्ज हो गया है । आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अभिलेख दुरूस्ती का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की अपील अपर आयुक्त के समक्ष संहिता की धारा 5 के आवेदन पत्र के साथ मय शपथपत्र के समय बाधित अपील प्रस्तुत की जाने पर अपर आयुक्त द्वारा भी विचार नहीं कर अपील अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की गई जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि तकनीकी आधार पर अपील का निराकरण नहीं कर गुणदोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाना चाहिये था जिसे पक्षकारों का वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । अंत में निवेदन किया गया कि प्रकरण अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर अपील प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अपर आयुक्त न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बंदोबस्त के पूर्व का अभिलेख व खसरा, हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर बन्दोबस्त के पूर्व वर्ष 1975–76 में विवादित भूमि सर्वे नम्बर 160 से नवीन सर्वे नम्बर 220 निर्मित किया जाकर अनावेदक के नाम से बन्दोबस्त के पश्चात् अभिलेख में दर्ज है । बन्दोबस्त पश्चात 20 साल बाद आवेदक द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 20 साल बाद रिकार्ड दुरूस्त किया जाना संहिता की धारा 89 के प्रावधानों के विपरीत है तथा भूमिस्वामी द्वारा भी विवादित भूमि पर अभिलेख दुरूस्ती किये जाने में आपत्ति प्रस्तुत होने से आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया गया है, जो न्यायिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है । आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की समय बाह्य अपील प्रस्तुत किये जाने के कारण अपर आयुक्त द्वारा अपील अग्राह्य की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–7–2016 स्थिर रखे जाते है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर